रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2495] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2012/पौष 3, 1934
No. 2495] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2012/PAUSHA 3, 1934

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3005(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं.7) की धारा 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यांवयन मंत्रालय, जिसे अब आगे 'मंत्रालय' के रूप में संदर्भित किया गया है, एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि समस्त भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने (अथवा उपलब्ध कराने) और इन्हें बाज़ार में पूरी तरह से या आंशिक रूप से बेचने जैसे किसी भी आर्थिक कार्य-कलाप (फसल उत्पादन, बागान, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को छोड कर) में रत सभी इकाइयों जिन्हें अब आगे 'प्रतिष्ठान' के रूप में संदर्भित किया गया है, की पूर्ण गणना की जाएगी । इसके लिए दो बुनियादी अनुसूचियों नामत: (i) आवास तथा प्रतिष्ठान लिस्टिंग अनुसूची; और (ii) प्रतिष्ठान अनुसूची की निर्देशिका (केवल उन्हीं इकाइयों के लिए जहां कामगार के रूप में 8 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं), को **दिसम्बर, 2012-जून 2013** जिसे अब आगे 'छठी आर्थिक गणना 2012-13' के रूप में संदर्भित किया गया है, के दौरान नीचे दिए गए **शेड्यूल- I** में उल्लिखित विवरण के अनुसार सभी परिवारों तथा प्रतिष्ठानों में कैनवास किया जाएगा ।

2. आगे, 'मंत्रालय' नीचे दिए गए **शेड्यूल-II** के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़ कर अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस)/ ब्यूरो के निदेशक/ प्रमुख/ प्रभारी और साथ ही कार्यालय में उनके समनुदेशितों को इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत उक्त निर्देश के संदर्भ में भौगोलिक इकाई (इकाइयों) के सम्बंध में **सांख्यिकी अधिकारी** के रूप में नियुक्त करती है ।

3. छठी आर्थिक गणना के लिए फील्ड कार्य के आयोजन हेतु परिगणक/पर्यवेक्षक/प्रभारी अधिकारी/जिला कार्यालय के प्रभारी रूप में नियुक्त और सम्बंधित सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को **सांख्यिकी अधिकारी** के कार्यक्षेत्र में परिवारों/उद्यमों/प्रतिष्ठानों/फर्म के बारे में सूचना एकत्र करने तथा प्रत्येक सूचनाप्रदाता द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन करने, और साथ ही तत्सम्बंधी रिकॉर्ड का निरीक्षण करने या आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जाएगा । प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान-पत्र या सम्बंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार- पत्र अपने साथ रखेगा ।

4. अनुसूची 6A- 'आवास तथा प्रतिष्ठान लिस्टिंग अनुसूची' के माध्यम से एकत्र आंकड़ों को आगे अनुसूची 6B- 'प्रतिष्ठान-सार अनुसूची' के सार-संक्षेप में और जैसा कि छठी आर्थिक गणना के दौरान सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त सूचना को हूबहू अनुसूची 6C- 'प्रतिष्ठान अनुसूची की निर्देशिका (केवल उन्हीं इकाइयों के लिए जहां आठ या उससे अधिक कामगार नियोजित हैं)' में उतारा जाएगा । परिशुद्ध तथा सम्पूर्ण पते सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची 6C- में निहित सूचना जिला सांख्यिकी कार्यालय (डीएसओ) में कार्यरत प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संसाधित की जाएगी ।

5. छठी आर्थिक गणना से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे । इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) और (6) के तहत सांख्यिकी अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

अनुसूची-I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

आर्थिक गणना सभी प्रतिष्ठानों की सम्पूर्ण गणना की एक प्रक्रिया है । गणना के दौरान, पूरे देश के उन सभी प्रतिष्ठानों (फसल उत्पादन, बागान, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को छोड़ कर), जो निरीक्षण के दिन अस्तित्व में थे और भले ही वे कहीं भी अवस्थित हों, उनका आकार, रोज़गार या कारोबार कुछ भी रहा हो, चाहे वे पंजीकृत हों या ना हों को कवर किया जाएगा । इन सभी प्रतिष्ठानों से उनके औद्योगिक कार्यकलापों, प्रतिष्ठानों के प्रकार, स्वामित्व का प्रकार, पंजीकरण अधिनियम, वित्तीय स्रोत, निर्यातक इकाई हैं या नहीं,नियोजित व्यक्तियों की संख्या, पैन,टैन आदि के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाएगें ।

आर्थिक गणना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

i. देश के आर्थिक ढांचे (वृहद, सूक्ष्म, क्षेत्रीय स्तर पर) के व्यापक विश्लेषण और बैंचमार्क के प्रयोजन से प्रतिष्ठानों के संचालन व अन्य परिवृत्यों यथा, अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रतिष्ठानों (फसल उत्पादन, बागान, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को छोड़ कर) के जिला, तहसील/ग्राम/वार्ड स्तर पर कार्यकलाप-वार वितरण के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराना;

ii स्थानीय स्तर के नियोजन के प्रयोजन तथा राष्ट्रीय कारोबार रजिस्टर बनाने के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल के लिए 8 अथवा इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली ग्राम/वार्ड स्तर तक के प्रतिष्ठानों की अद्यतन निर्देशिका उपलब्ध कराना; और

iii अनुवर्ती सर्वेक्षणों के माध्यम से विस्तृत सूचना एकत्रित करने के लिए प्रतिदर्श प्राप्त करने हेतु एक अद्यतन फ्रेम (लिस्ट) उपलब्ध कराना ।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत छठी आर्थिक गणना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर देश के सभी 34 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित की जाएगी ।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. फील्ड परिगणक/पर्यवेक्षक पहले से अभिकल्पित दो बुनियादी अनुसूचियों, नामत: (i) आवास तथा प्रतिष्ठान लिस्टिंग अनुसूची (6A); और (ii) प्रतिष्ठान अनुसूची की निर्देशिका(6C) को परिगणना के दिन मौजूद सभी आवासों/प्रतिष्ठानों में कैनवास करके और सूचनाप्रदाता अर्थात परिवार के मुखिया या प्रतिष्ठान के मालिक से उनके प्रत्येक आवास/प्रतिष्ठान में जाकर मौखिक पूछताछ/साक्षात्कार के जरिए, जैसा भी मामला हो, तथा प्रत्येक आवास/उद्यम/प्रतिष्ठान/फर्म/कम्पनी, जैसा भी मामला हो, से सम्बंधित अनुसूची 6A और 6C के लिए अपेक्षित सभी विवरण भरेगा ।

सूचनाप्रदाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं

4. आंकड़े परिवार के मुखिया/प्रतिष्ठान/फर्म/कम्पनी/संस्थान/आर्थिक निकाय के मालिक/साझेदार अथवा सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से एकत्र किए जाएंगे ।

IndiaCode

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि

5. सूचना प्रदाताओं से बुनियादी सांख्यिकी एकत्र करने अर्थात छठी आर्थिक गणना का फील्ड कार्य दिसम्बर 2012 तथा जून 2013 की अवधि के बीच शुरू किया जाएगा और सम्पन्न किया जाएगा ।

संदर्भ अवधि

6. सूचना की मदों के लिए संदर्भ अवधि कमोबेश सर्वेक्षण अवधि के अनुरूप ही होगी क्योंकि औद्योगिक कार्यकलाप, स्वामित्व का प्रकार, यह हथकरघा अथवा हस्तशिल्प, संचालन का ओरकार, पंजीकृत है या नहीं, पंजीकरण अधिनियम, समाजिक समूह, मालिक का धर्म और महिला है या पुरुष (सम्पत्ति के मालिकाना हक के मामले में), जैसे संचालन सम्बंधी पैरामीटरों के बारे में सूचना, निरीक्षण के दिन पाए गए जमीनी-सच से सम्बंधित होगी । तथापि, जहां तक फर्म में नियोजित व्यक्तियों कि संख्या, वित्त के प्रमुख स्रोत और बकाया अधिकतम ऋण के बारे में सूचना का सम्बंध है, यह निरीक्षण के दिन के मामले में फर्म के अंतिम कार्य-दिवस से सम्बंधित होगी ।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

7. छठी आर्थिक गणना में दो बुनियादी अनुसूचियां, अर्थात (i) आवास तथा प्रतिष्ठान लिस्टिंग अनुसूची (6A); और (ii) प्रतिष्ठान अनुसूची की निर्देशिका(6C) कैनवास की जाएंगी । इन अनुसूचियों के माध्यम से, नीचे परिगणित मदों के बारे में सूचनाप्रदाता से सूचना एकत्र की जाएगी:

आवास तथा प्रतिष्ठान लिस्टिंग अनुसूची (6A)

1. गणना किया जाने वाला आवास/ मकान संख्या
2. गणना किए जाने वाले आवास/मकान का उपयोग
3. परिवार के मुखिया का नाम/प्रतिष्ठान का नाम/प्रतिषठान का मालिक
4. परिवार के सदस्यों की संख्या
5. परिवार में केवल आय मजदूरी/वेतन प्राप्तकर्ताओं की संख्या
6. निवास के बाहर निश्चित ढांचे वाले प्रतिष्ठान

7. निवास के बाहर बिना निश्चित ढांचे वाले प्रतिष्ठान

8. निवास के भीतर चलने वाले प्रतिष्ठान

9. प्रतिष्ठान के प्रमुख कार्यकलापों का विवरण

10. क्या यह हथकरघा/हस्तशिल्प गतिविधि है ?

11. स्वामित्व का प्रकार

12. लिंग (केवल सम्पत्ति के मालिकाना हक के लिए)

13. सामाजिक समूह (केवल सम्पत्ति के मालिकाना हक के लिए)

14. धर्म (केवल सम्पत्ति के मालिकाना हक के लिए)

15. परिचालन का स्वरूप

16. प्रमुख वित्तीय स्रोत

17. निरीक्षण के दिन के सम्बंध में अंतिम कार्य-दिवस को नियोजित व्यक्तियों की संख्या, जिसमें निम्नलिखित विवरण अलग-अलग दिया जाए:

i. वैतनिक कार्यरत पुरूषों की संख्या
ii. वैतनिक कार्यरत महिलाओं की संख्या
iii. अवैतनिक कार्यरत पुरूषों की संख्या
iv. अवैतनिक कार्यरत महिलाओं की संख्या

प्रतिष्ठान अनुसूची की निर्देशिका(6C)

1. प्रतिष्ठान का पैन तथा टैन सहित नाम और पता यदि यह शाखा कार्यालय है तो

1.1 **क्षेत्रीय भाषा में**

नाम
मकान नं.
लेन
पिन कोड

IndiaCode

1.2 अंग्रेजी में

नाम

मकान नं.

लेन

पिन कोड

1.3 फोन/मोबाइल

1.4 फैक्स

1.5 ई-मेल

1.6 पैन

1.7 टैन

2. मुख्य कार्यालय का पैन तथा टैन सहित नाम और पता

2.1 क्षेत्रीय भाषा में

नाम

मकान नं.

लेन

पिन कोड

2.2 अंग्रेजी में

नाम

मकान नं.

लेन

पिन कोड

2.3 फोन/मोबाइल

2.4 फैक्स

2.5 ई-मेल

2.6 पैन

2.7 टैन

IndiaCode

3 मौजूदा स्वामित्व के तहत कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष

4 क्या प्रतिष्ठान में कम्प्यूटर और/ या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है ?

5 क्या उत्पादन एवं सेवाओं हेतु बिजली का उपयोग किया जाता है ?

6 क्या प्रतिष्ठान निर्यातक इकाई है ?

7 पंजीकरण सूचना: प्रतिष्ठान पंजीकृत है अथवा नहीं ?

8 यदि मद 7 का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित मदों के बारे में पूछताछ

8.1 दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम

8.2 कम्पनी अधिनियम, 1956

8.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क/विक्रय कर अधिनियम

8.4 कारखाना अधिनियम, 1948

8.5 समिति पंजीकरण अधिनियम

8.6 सहकारी समिति अधिनियम

8.7 उद्योग निदेशालय

8.8 केवीआईसी/केवीआईबी/डीसी: हथकरघा/हस्तशिल्प

8.9 अन्य एजेंसियों के साथ पंजीकरण

भाषा जिसमें सूचनाप्रदाता द्वारा सूचना दी जानी है

8. सूचनाप्रदाता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा जिसमें अंग्रेज़ी/हिंदी भी शामिल है, मैं अथवा उसके द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय बोली में उत्तर देगा क्योंकि कैनवास किए जाने वाले शेड्यूल देश के सभी 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख 15 भाषाओं, यथा हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी, असमी, कोंकणी और मणिपुरी में छापे गए हैं ।

IndiaCode

सूचनाप्रदाता का दायित्व

9. सूचनाप्रदाता यानि परिवार के मुखिया या फर्म/प्रतिष्ठान के स्वामी/साझेदार, जैसा भी मामला हो, से यह आशा की जाती है कि वो परिगणक/पर्यवेक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के अपनी सर्वोत्तम जानकारी या समझ से देगा और छठी आर्थिक गणना की अनुसूची 6A और 6C की अपेक्षा अनुसार सही तथ्य अथवा आंकड़े उपलब्ध कराएगा ।

निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति

10. किसी प्रतिष्ठान अथवा कारोबारी निकाय के जिन सम्भावित बिज़िनेस रिकॉर्डों की जांच की जा सकती है वे स्वामित्व के प्रकार; किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत कम्पनियोंको शामिल किए जाने या पंजीकृत किए जाने से सम्बंधित दस्तावेज़; पैन/टैन; मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय का पता; मस्टर रोल/ श्रमिक नियोजन रजिस्टर आदि से सम्बंधित हो सकते हैं ताकि दी गई सूचना की परिशुद्धता या सटीकता सुनिश्चित की जा सके ।

निरीक्षण का तरीका

11. सांख्यिकी अधिकारी या प्रभारी अधिकारी या पर्यवेक्षक परिवार के मुखिया या प्रतिष्ठान/फर्म के स्वामी द्वारा दी गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या परिशुद्धता का सत्यापन करेंगे, इसके लिए वे दो सारणियों की "भरी गई" सूचना को मौके पर सूचनाप्रदाता से क्रॉस-चेक कर सकते हैं और सम्बंधित परिवार के मुखिया या मालिक या इस बारे में प्राधिकृत व्यक्ति से अनुरोध करके पुष्टि/स्पष्टीकरण मांग सकते हैं या उपलब्ध कराए गए समुचित दस्तावेज़ों को देख सकते हैं ।

सारणी - II

क्र. सं.	सांख्यिकी अधिकारी का नाम और पदनाम	कार्यक्षेत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	पता
1.	डॉ. डी. दक्षिणामूर्ती, निदेशक	आंध्र प्रदेश	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार, खैरताबाद, पोस्ट बैग नं. 5, हैदराबाद-500004
2	श्री कोज ताजंग, निदेशक	अरुणाचल प्रदेश	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार, पोस्ट ऑफिस: आर.के मिशन, ईटानगर-791113
3.	श्री पी.के.भट्टाचार्य,निदेशक	असम	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, असम सरकार, जवाहरनगर, त्रिपुरा रोड़, बेलटोला, गुवाहाटी-781028 असम, भारत
4.	श्री जे.के.सिन्हा, व.संयु.निदेशक	बिहार	सांख्यकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, हटमेंट नं. 17, मुख्य सचिवालय, पटना-15 बिहार सरकार, पटना-800015
5.	श्री अमिताभ पांडा, आयुक्त तथा निदेशक	छत्तीसगढ़	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, कौशल्या भवन, बायरन बाज़ार, रायपुर-492001
6.	श्री आनंद शेरखाने, निदेशक	गोआ	नियोजन, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय,

IndiaCode

			गोआ सरकार, जुंता ऐनेक्सी, तीसरा तल, लिफ्ट-IV, पणजी-403001
7.	**श्री आर.एन.पांड्या, निदेशक**	**गुजरात**	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, गुजरात सरकार, सेक्टर -18, गांधीनगर-382009
8.	**श्री आर.के.बिश्नोई, निदेशक**	**हरियाणा**	अर्थ एवं सांख्यकीय विश्लेषण विभाग, योजना भवन, बेज़ 21-28, सेक्टर- 4,पंचकुला-134109
9.	**श्री प्रदीप चौहान, आर्थिक सलाहकार**	**हिमाचल प्रदेश**	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, 38, एसडीए परिसर, कसुमपटी, शिमला-171009
10.	**डॉ. डी.के.सक्सेना, निदेशक**	**झारखंड**	सांख्यिकी और योजना मूल्यांकन निदेशालय और विकास विभाग,इंजीनियर हॉस्टल, गोल चक्कर, धुर्वा रांची-834004 झारखंड.
11.	**श्री एच.ई.राजशेखरप्पा,निदेशक**	**कर्नाटक**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक सरकार, सातवां तल, पहली स्टेज, बहु-मंजिला भवन, डॉ. बी.आर अम्बेडकर वीथि, बैंगलोर-560001
12.	**श्री वी.रामचंद्रन, निदेशक**	**केरल**	अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, केरल सरकार,

IndiaCode

			विकास भवन, तिरुवनंतपुरम-695033
13.	श्री राजेंद्र मिश्रा, आयुक्त	मध्य प्रदेश	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार, विंध्याचल भवन, भोपाल-462004
14.	श्रीमती एस.एम.अपराजित,निदेशक	महाराष्ट्र	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, आठवां तल, प्रशासनिक भवन, गवर्नमेंट कॉलॉनी, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई- 400051
15.	श्री एल.अरुण कुमार सिंह, निदेशक	मणिपुर	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मणिपुर सरकार, पो.ऑ.लाम्फेलपेट, इम्फाल-795004
16.	श्री ए.मारबेनियांग, निदेशक	मेघालय	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मेघालय सरकार, ईस्ट खासी हिल्स, लोअर लाचूमियर, शिलांग-793001
17.	श्री शैहिलयारा,निदेशक	मिज़ोरम	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मिज़ोरम सरकार, ऐज़ॉल- 796001
18.	श्री वाई.सशिओ ओवुंग,निदेशक	नागालैंड	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा-797001
19.	श्री एच.एम.राउतरे, निदेशक	ओडिशा	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, ओडिशा सरकार, चौथा तल, विभाग प्रमुख भवन, भुबनेश्वर-751001, ओडिशा

20.	**श्री मोहनलाल शर्मा,आर्थिक सलाहकार**	**पंजाब**	आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन, पंजाब सरकार, एस.सी.ओ.,35 और 36, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
21.	**श्री ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक**	**राजस्थान**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
22.	**श्री एस.डी. त्शेरिंग, महानिदेशक**	**सिक्किम**	आर्थिक, सांख्यिकी, निगरानी तथा मूल्यांकन विभाग, सिक्किम सरकार, चर्च रोड, गंगतोक-737101
23.	**डॉ. के. अरुलमोहि, प्रधान सचिव तथा निदेशक**	**तमिलनाडु**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, तमिलनाडु सरकार, ब्लॉक II, प्रशासनिक कार्यालय भवन, 259, अन्ना सलाइ, तेयनामपेट, चेन्नै-600006
24.	**श्री शिव प्रसाद बिस्वास,निदेशक**	**त्रिपुरा**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, शंकर चुमुहानी, अगरतला-799001
25.	**श्री प्रेम नारायण, निदेशक**	**उत्तर प्रदेश**	राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं सांख्यिकी प्रभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, योजना भवन, 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ-226001
26.	**श्रीवाई.एस.पांगती, निदेशक**	**उत्तराखंड**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

IndiaCode

			उत्तराखंड सरकार, 100/6, नैश्विला रोड़, देहरादून-248001
27.	**श्री दीपांकर चट्टोपाध्याय, निदेशक**	**पश्चिम बंगाल**	अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो, पश्चिम बंगाल सरकार, नया सचिवालय भवन,तीसरा तल, ब्लॉक-बी,1, किरण शंकर रॉय रोड़, कोलकाता-700001
28.	**श्री गौरांग मिश्रा,निदेशक**	**अंडमान और निकोबार**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, क्वैरी हिल, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर-744101
29.	**श्री अजय शर्मा,विशेष सचिव, (वित्त तथा अर्थ एवं सांख्यिकी)**	**चंडीगढ़**	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, चण्डीगढ़ प्रशासन, कमरा सं. 329-330, तीसरा तल, डीलक्स बिल्डिंग यू.टी. सचिवालय सेक्टर-9, चण्डीगढ़ - 160017
30.	**श्री ज्ञानेश भारती, सचिव (योजना)**	**दादर एवं नागर हवेली**	योजना और सांख्यिकी विभाग, दादर और नागर हवेली प्रशासन, यू.टी. सचिवालय, दूसरा तल, सिलवासा-396230
31.	**श्री ज्ञानेश भारती, सचिव (योजना)**	**दमन एवं दीव**	योजना और सांख्यिकी विभाग, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, सचिवालय, मोती दमन, दमन-396220
32.	**डॉ. बी.के. शर्मा, निदेशक**	**दिल्ली**	अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन-II तीसरा

IndiaCode

			तल, बी-विंग, अपर बेला रोड, मेटकेल हाउस के पास, दिल्ली-110054
33.	श्री अमर नाथ, प्रशासक	लक्षद्वीप	योजना और सांख्यिकी विभाग, यू.टी. सचिवालय, कावारत्ती- 682555
34.	श्री एस. वैत्तियानादाने, निदेशक	पुडुचेरी	योजना और सांख्यिकी विभाग, पुडुचेरी प्रशासन, संख्या:-505, कामराज सलाई, न्यू सरम, पुडुचेरी-605013

[फा. सं. एन-11015/9/2012-ईएसडी-VI ईसी]

अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2012

S.O. 3005(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (No.7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Central Government, Ministry of Statistics & Programme Implementation herein after referred to as 'Ministry', hereby notify that a complete enumeration of all units engaged in any economic activity (except Crop Production; Plantation; Public administration; Defence and Compulsory Social Security Services) producing (or providing) goods or services and fairly selling whole or a part of it in the market, hereinafter referred to as 'establishment', shall be undertaken in the whole of Indian Union, by canvassing two basic schedules namely (i) 'House & Establishment Listing Schedule'; and (ii) 'Directory of Establishment Schedule (only for such units having 8 or more persons as workers)', among all the households and establishments, during **December, 2012-June, 2013**, herein after referred to as 'Sixth Economic Census 2012-13', as per the details mentioned in the **Schedule-I** given below.

2. The 'Ministry' further appoints the persons as also their assignees in office that is Director/ Head/ Incharge of the Directorate/ Bureau of Economics and Statistics (DES) of a State/UT except the State of Jammu & Kashmir, as mentioned in the **Schedule –II** given

below, as **Statistics Officers** under sub-section (1) of Section 4 of the Act in respect of the geographical unit(s) mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons to be deployed as enumerators/ supervisors/ charge officers/ in-charge of district offices for conducting field work of Sixth Economic Census and as authorized by the concerned **Statistics Officer** would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for collection, verification of information relating to Household/ Enterprise/ Establishment/ Firm furnished by each informant, and also for inspecting relevant records or seeking clarifications as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The Statistics collected through Schedule 6A- 'House & Establishment Listing Schedule' will further be copied down or filled in the Summary Schedule 6B-'Establishment Abstract Schedule' and in Schedule 6C-'Directory of Establishment Schedule (only for such units having 8 or more workers)' as furnished by the informant during Sixth Economic Census. Information contained in Schedule 6C will be processed by the trained officials working in District Statistical Office (DSO) for ensuring correct and complete addresses.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Sixth Economic Census are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009) and Collection of Statistics Rules, 2011. Further, power has been delegated to Statistics Officers under sub-sections (4) and (6) of Section 4 of the Act.

SCHEDULE – I

Subject and purpose for collection of Statistics

Economic Census is a process of complete enumeration of all establishments. During the Census, all establishments (except Crop production, Plantation, Public Administration; Defence and Compulsory Social Security Services) existing on the day of visit, in the entire country, irrespective of their location, size, employment or turnover, whether registered or not would be covered. Data in respect of all such establishments relating to their industrial activity, type of establishment, type of ownership, registration Act, sources of finance, whether exporting unit, number of persons employed, PAN,TAN etc. would be collected.

The purpose of the Economic Census is as under:

i. To provide detailed information on operational and other variables, viz; activity wise distribution at All-India, State, district, Tehsil/ village/ ward levels of all the establishments (excluding crop production, plantation, public administration, defence and compulsory social security services) in the country for comprehensive analysis of the structure of the economy (macro, micro, regional levels) and for benchmark purposes;

ii. To provide updated Directory of Establishments employing 8 or more workers, up to the village/ward level for local level planning purposes and use the same as an input for the development of National Business Register; and

iii. To provide an up to date frame (list) from which samples could be drawn for collecting detailed information through follow-up surveys.

Geographical area for collection of Statistics

2. Sixth Economics Census would be conducted in all the 34 States/UTs of the country, under the Collection of Statistics Act, 2008 excepting the State of Jammu & Kashmir.

Method of data collection

3. Data will be collected through canvassing of two pre-designed basic schedules namely (i) House & Establishment listing Schedule (6A) and (ii) Directory of Establishment Schedule (6C) by field enumerator/ supervisor through oral enquiry/ interview from the informant i.e. head of the household or the owner of the establishment, as the case may be, by visiting each and every household/ establishment and filling up all the details required for Schedules 6A, and 6C relating to each and every Household/ Enterprise/ Establishment/ Firm/ Company, as the case may be, which exist on the day of enumeration.

Nature of informants from whom data may be collected

4. Data will be collected from the Head of the household/ owner/ partner of the establishment/ firm/ company/ institution/ economic entity or a person authorized to furnish the information, as the case may be.

Period during which collection of Statistics may be completed

5. Collection of basic statistics from the informants that is field work of Sixth Economic Census would be undertaken and completed between December, 2012 and June, 2013.

Reference Period

6. Reference period for items of information would more or less correspond to the survey period only as information on the operational parameters, such as type of industrial activity; type of ownership; whether it is handloom or handicraft activity; nature of operation; registered or not; Act of registration; social group, religion and sex of the owner (for proprietary establishments), would pertain to the ground truth found on the day of the visit. However, in the case of information on number of persons working in the firm, major source of finance and for maximum loans outstanding would relate to last working day of the firm in relation to the day of visit.

IndiaCode

Nature of information to be collected

7. In the Sixth Economic Census, two basic schedules would be canvassed i.e. (i) House and Establishment Listing Schedule (6A) and (ii) Directory of Establishment Schedule (6C). Through these Schedules, information from the informant would be collected on the items enumerated below:

House & Establishment listing Schedule (6A)

1 Census house/Structure Number

2 Use of Census house/structure

3 Name of the head of the household/ Name of establishment/ Owner of establishment

4 Number of Members in Household (HH)

5 Number of only wage earners/ salaried in HH

6 Establishments Outside HH with fixed structure

7 Establishments Outside HH without fixed structure

8 Establishments Inside HH

9 Description of major activity of establishment

10 Is it handloom/handicraft activity?

11 Ownership

12 Sex (for proprietary ownership only)

13 Social Group (for proprietary ownership only)

14 Religion (for proprietary ownership only)

15 Nature of operation

16 Major source of Finance

17 Number of persons employed on last working day in relation to the day of visit, with the following break up:

i. Hired Male
ii. Hired Female
iii. Non-hired Male
iv. Non-hired Female

Directory of Establishment Schedule (6C)

1 Name and address of the establishment along with PAN & TAN. If it's a Branch Office

1.1 In Regional Language

Name

House No.

Lane

Pin Code

1.2 In English

Name

House No.

Lane

Pin Code

1.3 Phone/Mobile

1.4 Fax

1.5 E- mail

IndiaCode

1.6 PAN

1.7 TAN

2 Name and address of the Main Office along with PAN & TAN.

2.1 In Regional Language

Name

House No.

Lane

Pin Code

2.2 In English

Name

House No.

Lane

Pin Code

2.3 Phone/Mobile

2.4 Fax

2.5 E- mail

2.6 PAN

2.7 TAN

3 Year of start of operation under current ownership

4 Does a computer and/or internet facility exist in the establishment?

5 Whether using power in production of goods and services?

6 Whether an exporting unit?

7 Registration information. Whether registered or not?

8 If Answer of item 7 is 7 yes, then enquire on the following items

8.1 Shops and Commercial Establishments Act

8.2 Companies Act, 1956

IndiaCode

8.3 Central Excise/ Sales Tax Act

8.4 Factories Act, 1948

8.5 Societies Registration Act

8.6 Co-operative Societies Act

8.7 Directorate of Industries

8.8 KVIC/KVIB/DC: Handloom/ Handicrafts

8.9 Registration with other agencies

Language in which information is to be furnished by informant

8. An informant shall reply in the regional language of the area including English/ Hindi or in his local dialect spoken by him as the Schedules to be canvassed are printed in the 15 major languages viz. Hindi, English, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Punjabi, Assamese, Konkani and Manipuri-spoken in all the 35 States/UTs of the country.

Obligation of informant

9. An informant that is head of the household or owner/ partner of the firm/ establishment, as the case may be, is expected to answer all the questions asked by the enumerator/ supervisor/charge officer and furnish full and correct facts or figures required as per Schedule 6A and Schedule 6C of the Sixth Economic Census, to the best of his knowledge or understanding, without any bias or prejudice.

Nature of business records and other records which may be inspected

10. Possible business records of an establishment or business entity which could be inspected may relate to type of ownership; documents for incorporation of the firm or its registration under any of the specified Act; PAN/ TAN; address of the Main office/ Branch office; Muster Roll/ Labour Employment Register etc. in order to ascertain the exactness or precision of the information furnished.

The manner of inspection

11. The Statistics Officer or Charge Officer or Supervisor may verify the correctness or completeness of any information furnished by the head of household or owner of an

establishment/ firm by cross-checking the "filled in" information of the two schedules from the informant on the spot and seek confirmation/ clarifications from the concerned head of household or owner or a person authorized in this regard or through seeing the appropriate documents made available to him, on request.

SCHEDULE - II

Sl. No.	Name & Designation of Statistics Officer	Jurisdiction (State / UT)	Address
1.	Dr.D. Dakshinamurty Director	Andhra Pradesh	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Andhra Pradesh, Khairatabad, Post Bag no.5, Hyderabad-500004
2.	Shri Koj Tajang Director	Arunachal Pradesh	Directorate of Economics & Statistics, Govt., of Arunachal Pradesh, P.O: R.K.Mission Itanagar-791113
3.	Shri. P.K. Bhattacharjya Director	Assam	Directorate of Economics & Statistics, Govt.ofAssam , Jawaharnagar, Tripura Road , Beltola,Guwahati - 781 028 Assam, India
4.	Shri J. K. Sinha Sr. Joint Director	Bihar	Directorate of Statistics & Evaluation, Hutment No:17, Main Secretariat Patna-15. Govt. of Bihar, Patna-800015.
5.	Shri. Amitabh Panda Commissioner cum Director	Chhattisgarh	Directorate of Economics & Statistics, Kaushalya Bhavan, Byron Bazar,Raipur 492001.
6.	Shri Anand Sherkhane Director	Goa	Directorate of Planning, Statistics & Evaluation, Govt. of Goa, Junta Annexe, 3rd Floor, Lift –IV, Panaji-403001
7.	Shri R.N. Pandya Director	Gujarat	Directorate of Economics & Statistics Govt.of Gujarat, Sector–18, Gandhinagar-382009
8.	Shri R.K.Bishnoi Director	Haryana	Deptt. Of Economics & Statistical Analysis Yojana Bhawan, Bays 21-28, Sector-4 Panchkula - 134109.
9.	Shri Pradeep Chauhan Economic Advisor	Himachal Pradesh	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of H.P., 38. SDA Complex, Kusumpti, Shimla-171009

10.	**Shri. D.K.Saxena Director**	**Jharkhand**	Directorate of Statistics & Evaluation Planning and Development Dept, Engineers Hostel, Golchakar, Dhurva Ranchi 834004 Jharkhand.
11.	**Shri H.E. Rajashekarappa Director**	**Karnataka**	Directorate of Economics & Statistics, Govt.of Karnataka, 7th Floor,1st Stage, Multi-storeyed Building Dr.B.R.AmbedkarVeedhi,Bangalore-560001
12.	**Shri V Ramachandran Director**	**Kerala**	Dept. of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram-695033.
13.	**Shri Rajendra Mishra Commissioner**	**Madhya Pradesh**	Directorate of Economics & Statistics,Govt. of Madhya Pradesh, Vindhyachal Bhavan, Bhopal-462004.
14.	**Smt S.M Aparajit Director**	**Maharashtra**	Directorate of Economics & Statistics, 8th floor, Administrative Building, Government Colony, Bandra (East), Mumbai-400051
15.	**Shri L. Arun Kumar Singh Director**	**Manipur**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Manipur, Lamphelpat P.O. Imphal 795004
16.	**Shri A.Marbaniang Director**	**Meghalaya**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Meghalaya, East Khasi Hills, Lower Lachumiere, Shillong-793001.
17.	**Shri Saihlira Director**	**Mizoram**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Mizoram, Aizawl-796001.
18.	**Shri Y.Sacheo Ovung Director**	**Nagaland**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Nagaland, Kohima-797001
19.	**Sri H.M.Routray Director**	**Odisha**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Orissa, 4th Floor, Heads of Department

			Bldg., Bhubaneswar-751001,Odisha
20.	**Shri. Mohan Lal Sharma Economic Advisor**	**Punjab**	Economic & Statistical Organisation, Govt. of Punjab, S.C.O., 35 & 36, Sector 17-E, Chandigarh-160017.
21.	**Shri Om Prakash Bairwa Director**	**Rajasthan**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Rajasthan, Yojana Bhawan,Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005.
22.	**Shri. S.D. Tshering Director General**	**Sikkim**	Department of Econ, Stat, Monitoring & Evaluation. Govt. of Sikkim, Church Road, Gangtok – 737101
23.	**Dr. K. Arulmozhi Principal Secretary and Director**	**Tamil Nadu**	Department of Economics & Statistics, Govt. of Tamil Nadu, Block II, Administrative Office Building,259, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600006.
24.	**Shri Sew Prasad Biswas Director**	**Tripura**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of Tripura, Shankar Chumuhani, Agartala-799001.
25.	**Shri Prem Narayan Director**	**Uttar Pradesh**	State Planning Institute, Economics & Statistics Division, Govt. of Uttar Pradesh, Yojana Bhavan.9, Sarojini Naidu Marg, Lucknow-226001.
26.	**Shri. Y.S Pangtey Director**	**Uttarakhand**	Directorate of Economics & Statistics, 100 / 6,Govt of Uttarakhand Nashvilla Road Dehradun-248001
27.	**Shri Dipankar Chattopadhyay Director**	**West Bengal**	Bureau of Applied Economics & Statistics, Govt. of West Bengal, New Sectt. Buildings, 3rd Floor, Block-B, 1, Kiron Sankar Roy Road, Kolkata-700001.
28.	**Shri. Gaurang Mishra Director**	**Andaman &Nicobar**	Directorate of Economics & Statistics, Quarry Hill Andaman & Nicobar Administration,

			Port Blair-744101
29.	**Shri Ajoy Sharma Special Secretary, (Finance cum Economics & Statistics)**	**Chandigarh**	Economics & Statistics, Chandigarh Administration, Room no. 329-330, 3rd floor, Deluxe Building U.T. Secretariat Sector-9, Chandigarh-160017
30.	**Shri Gyanesh Bharti Secretary (Planning)**	**Dadra & Nagar Haveli**	Department of Planning & Statistics, Administration of Dadra & Nagar Haveli, U.T. Sachivalaya , 2nd Floor Silvassa. 396230
31.	**Shri Gyanesh Bharti Secretary (Planning)**	**Daman & Diu**	Department of Planning & Statistics, Union Territory of Daman & Diu, Secretariat, Moti Daman, Daman-396220.
32.	**Dr. B.K.Sharma Director**	**Delhi**	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Vikas Bhawan-II, 3rd Floor, B-Wing,Upper Bela Road, Near Metcalf House, Delhi-110054.
33.	**Shri. Amar Nath Administrator**	**Lakshadweep**	Directorate of Planning & Statistics UT Secretariat, Kavaratti -682555
34.	**Shri. S. Vaittianadane Director**	**Puducherry**	Directorate of Economics & Statistics, Puducherry Administration, No. 505, Kamaraj Salai, New Saram, Puducherry-605013

[F. No. N-11015/9/2012-ESD-VI EC]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.